अज अदालत लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज

बइजलास डॉ.नरेश सोनी, आर.ए.एस

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
वक्तावरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी ध्रुबाणा तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश परिहार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वाद संख्या 70/2023

–:आदेश:– दिनांक 13.10.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार मोजा ध्रुबाणा पटवार हल्का ध्रुबाणा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र पोसालिया तहसील शिवगंज की जमाबन्दी संवत् 2074–2077 नया खाता संख्या 99 के खसरा नंम्बर 49 रकबा 7.9075 हैक्टयर भूमि आई हुई है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी भी सहखातेदार है। उक्त जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी का नाम वगतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह सा. देह खातेदार दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसे–आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस व पेनकार्ड में प्रार्थी का नाम वक्तावरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो एवं मौका जांच अनुसार ग्राम ध्रुबाणा के खसरा संख्या 49 रकबा 7.9075 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078 वर्ष 2022 में दर्ज है। उक्त भूमि में उत्तराधिकारी का नामांतरकरण दर्ज करते वक्त रघुनाथसिंह पुत्र रामसिंह की जगह उनके वारिसदार वगतसिंह, रूपसिंह, जगतसिंह एवं भंवरबाई के नाम नामांतरकरण दर्ज किया गया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम वगतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह की जगह वक्तावरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह दुरस्त किये जाने को उचित बताया है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य एंव तहसीलदार शिवगंज की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः मौजा ध्रुबाणा पटवार हल्का ध्रुबाणा तहसील शिवगंज जिला सिरोही की राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 49 रकबा 7.9075 हैक्टयर भूमि में दर्ज सहखातेदार वगतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह के स्थान पर **वक्तावरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तद्नुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 11:45:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. नरेश सोनी, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)